

मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-188

उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

01 मार्च से 27 अप्रैल तक कुल 32747.03 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी जप्त की गयी

27 अप्रैल को कुल 169.95 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नकदी जप्त

दिनांक 28 अप्रैल, 2024 लखनऊ

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा 01 मार्च से 27 अप्रैल, 2024 तक कुल 32747.03 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नगदी आदि जप्त किये गये। इसमें 3207.95 लाख रुपये नकद धनराशि, 4532.16 लाख रुपये कीमत की शराब, 21688.95 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2161.59 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं एवं 1156.39 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जप्त की गयी।

आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा 27 अप्रैल, 2024 को कुल 169.95 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जप्त किया गया। इसमें 5.86 लाख रुपये नकद धनराशि, 51.17 लाख रुपये कीमत की 19392.95 लीटर शराब, 112.93 लाख रुपये कीमत की 20101.50 ग्राम ड्रग जप्त की गयी।

27 अप्रैल, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद गाज़ीपुर की जाखानिया (अ०जा०) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 105 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 525 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी।